न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।

पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय

ए0बी0पी0– 461 / 2026

(चिकसौरा थाना कांड संख्या– 54 / 2026)

विक्की कुमार बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
14.07.2026	आवेदक विक्की कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र जो धारा– 126(2), 115(2), 352, 351(2), 74, 85, 3(5), 75(i)(iv) बी0 एन0 एस0 के तहत चिकसौरा थाना कांड संख्या– 54 / 2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि सुचिका कुमारी सोभना सिन्हा की शादी विक्की कुमार के साथ 4.5.2017 को हुई थी शादी के दो वर्ष तक सब ठीक–ठाक रहा तत्पश्चात अभियुक्तगण 25 लाख रूपया एवं चार पहिया वाहन मांगने लगे तथा दूसरी शादी करने की धमकी दिए। मांग पुर्ति नहीं करने पर सभी अभियुक्तगण सुचिका के साथ मारपीट किए जिसकी जानकारी पिता को दी तथा बाद में आकर केस दर्ज कराये। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी निर्दोष है, जिसे वर्तमान मुकदमा में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी काफी विलम्ब से सोच समझकर कानुनी सलाह लेकर गलत आरोप के साथ दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी में लगाया गया आरोप विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। सुचिका दबाव बनाकर पैसा ऐंठने को लेकर गलत तथ्यों एवं आरोपों के आधार पर झूठा केस दर्ज करायी है। 74 बी0 एन0 एस0 आवेदक के विरूद्ध लागु नहीं होता है। केस के अन्य सभी अभियुक्तों का अग्रिम जमानत विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हिलसा के न्यायालय से ए0 बी0 पी0 नं0– 384 / 26 एवं 385 / 26 से स्वीकृत हुआ है। आवेदक 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। सुना। कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि काण्ड दैनिकी के पारा 25 आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को अनुसंधान के दौरान 35(3) बी0 एन0 एस0 एस0 का लाभ दिया गया है। आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है और संज्ञान भी लिया जा चुका है। अतः आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को तद्नुसार स्वीकृत करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदक के गिरफ्तार होने या न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर उसे 10,000 रूपये के दो समान प्रतिभू के साथ बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर न्यायालय की संतुष्टी पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।	

लगातार...

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश–V,
हिलसा (नालंदा)।

ज्ञापांक–..... / दि0.....

Date of Order	14.07.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	18.07.2026
Uploaded by	R.R. Prasad CD.E.O.